

बिहार सरकार  
सहकारिता विभाग

पत्रांक— ...../पटना, दिनांक— .....  
03/नि. प्रशि.(प्रशिक्षण राशि आकलन)-27/2024 (2)

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.),  
बिहार, पटना।

विषय :- सहकारिता विभाग के अंतर्गत 25 मुख्य/वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का दिनांक-08.09.2025 से दिनांक-12.09.2025 तक 05 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पूणे, महाराष्ट्र में कराये जाने के उपरांत वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना मद से प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान हेतु 8,85,000/- (आठ लाख पचासी हजार रू.) रुपये मात्र राशि के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

सहकारिता विभाग के अंतर्गत 25 मुख्य/वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का दिनांक-08.09.2025 से दिनांक-12.09.2025 तक 05 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पूणे, महाराष्ट्र में कराये जाने के उपरांत वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना मद से प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान हेतु 8,85,000/- (आठ लाख पचासी हजार रू.) रुपये मात्र राशि के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के अन्तर्गत मांग संख्या-09, मुख्य शीर्ष-2425 सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-003 प्रशिक्षण, उप शीर्ष-0102 विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान विस्तृत शीर्ष-20, अन्य प्रशासनिक व्यय विषय शीर्ष-03 प्रशिक्षण व्यय विपत्र कोड-09-2425000030102 राज्य योजना से विकलनीय होगी।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पूणे, महाराष्ट्र से प्राप्त विपत्र के विरुद्ध स्वीकृत राशि का विपत्र BTC FORM-25 में तैयार कर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना में प्रस्तुत करेंगे और राशि की निकासी कर Saraswat Coop Bank Ltd., Name of A/C Holder-Director Vaikunth Mehta NAT INST of Coop MGMT, A/C No.-110200100001763, IFSC CODE-SRCB0000110 में स्थानांतरित करेंगे। इसके लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-7245 दिनांक-26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

✓

5. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या-03/नि. प्रशि. (प्रशिक्षण राशि आकलन)-27/2024 (2) के पृष्ठ-95 पर दिनांक- 27.05.2026 को प्राप्त है।

7. इस राशि की स्वीकृति सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या-03/नि. प्रशि.(प्रशिक्षण राशि आकलन)-27/2024 (2) के पृष्ठ-96 पर दिनांक-29.05.2026 को प्राप्त है।

8. इस संबंध में पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-688 दिनांक-19.03.2026 को रद्द समझा जाय।

ह०/-  
(अभय कुमार सिंह)  
सरकार के अपर  
सचिव।

ज्ञापक 137 / पटना, दिनांक 04/06/26.  
03/नि. प्रशि.(प्रशिक्षण राशि आकलन)-27/2024 (2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा बिहार, पटना) एवं निबंधक, वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पूणे, महाराष्ट्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अपर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को अभिश्रव सहित/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक, कार्यालय निबंधक स.स., बिहार, पटना/आई.टी. मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1  
04-06-2026

04.06.26  
सरकार के अपर  
सचिव।